संख्या- 101 /अरसठ-4-2024

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0 प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 जनवरी, 2024

विषयः-डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय चरण (Phase-3) में प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश (Direct Admission) से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-गोप/डी0एल0एड0-23/5470-74/2023-24 दिनांक 20-12-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय चरण (Phase-3) में प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय चरण (Phase-3) में प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने की निम्नानुसार समय-सारिणी पर सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र0	सचिव परीक्षा नियामक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि	रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों द्वारा सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने हेतु शुल्क जमा किये जाने एवं निजी संस्थानों द्वारा अभिलेखीय जांच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि एवं प्रक्रिया		प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर रिपोर्ट किये जाने की अंतिम तिथि
1	20-01-2024	23-01-2024 से 24-01-2024 तक	1. प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र प्राप्त करना। 2. प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों की	25-01-2024 (निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किये जाने पर लिया

			मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष/मैसेज के माध्यम से सूचित करना। 3. प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश वेबसाइट पर लॉक करना।	गया प्रवेश मान्य नहीं होगा)

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by
यतीन्द्र कुमार
Date: 19-01-2024 17:49:17
Reason: Approved

(यतीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 101 (1)/अरसठ-4-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
सत्य प्रकाश
अनु सचिव।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय चरण (Phase-3) में प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव —

1. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 01 से 3,36,572 तक के समस्त अभ्यर्थियों को दोनो चरणों में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। चयन/काउंसलिंग की कार्यवाही दो चरणों में सम्पादित कराये जाने के उपरान्त रिक्त सीटों पर शत प्रतिशत प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चरण में कालेज स्तर से सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही सम्पादित करायी जा रही है। सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे —
    - डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने वाले स्टेट रैंक 01 से 3,36,572 तक के समस्त अभ्यर्थी जो कतिपय कारणों से ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग न किया हो।
    - ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया हो परन्तु उनके द्वारा भरे गये विकल्प के सापेक्ष कोई प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।
    - ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ हो परन्तु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हो। ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश ले सकते हैं।
2. सीधे प्रवेश (Direct Admission) हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में Admission Fees रू0 10,000/—(रू0 दस हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। रू0 10,000/— के भुगतान के उपरान्त ही अभ्यर्थी सीधे प्रवेश (Direct Admission) की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।
3. काउंसलिंग/प्रवेश के प्रथम/द्वितीय चरण के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउसंलिग में प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 5000/— भुगतान किये जाने के उपरान्त निर्धारित समय—सीमा में संस्था विकल्प पूरित नहीं किया गया/रिक्त सीटों के प्रति पर्याप्त संख्या में संस्थान का विकल्प पूरित नहीं किये जाने के कारण उन्हें प्रशिक्षण हेतु संस्था आवंटन नहीं किया जा सका एवं ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित संस्था मे प्रवेश लिये जाने हेतु Allottment Fees रू0 5,000/— का भुगतान किये जाने के उपरान्त प्रवेश हेतु निर्धारित समय—सीमा में संस्था में उपस्थित नहीं हुए तथा अभिलेखीय विसंगति के कारण उनका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों को भी सीधे प्रवेश के अन्तर्गत Admission Fees रू0 10,000/—(रू0 दस हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।
4. रू0 10,000/— के भुगतान की फीस रसीद के साथ अभ्यर्थी अपने डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक, आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ राजकीय/निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। राजकीय/निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के किये गये आवेदन के प्रति Receipt उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. सीधे प्रवेश हेतु रू0 10,000/— भुगतान करने के उपरान्त अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होने अथवा प्रवेश नहीं लिये जाने पर अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किये गये Fees रू0 10000/— अभ्यर्थी को वापस (Refund) नहीं की जाएगी।

6. राजकीय/निजी संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, तथा प्रवेश रिक्त सीटों पर मेरिट के सापेक्ष ही सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रवेश की कार्यवाही के अन्तर्गत यदि किसी संस्थान के द्वारा मेरिट को इग्नोर कर प्रवेश लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो, उक्त तथ्य के जाँचोपरान्त संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

7. प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरान्त, प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट updeled.gov.in पर दिये गये कॉलेज लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से Direct Admission के लिंक पर जाकर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नं0 को अंकित करते हुए प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को लॉक/रिपोर्ट करना सुनिश्चित किया जायेगा। चयन/प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होने के कारण; निर्धारित अवधि तक वेबसाइट पर रिपोर्ट न किये जाने पर सीधे प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह माना जायेगा कि निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश लिया गया है।

8. सीधे प्रवेश में अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से रू0 10,000/– की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये रू0 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से रू0 31000 (इकत्तीस हजार रू0 मात्र) एवं प्रदेश के डायट द्वारा रू0 200 (दो सौ रू0 मात्र) अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क जमा कराये जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सीधे प्रवेश हेतु भुगतान किये गये धनराशि रू0 10000/– का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जायेगा।

9. प्रदेश के समस्त जनपदों में संस्थानवार रिक्त सीटों की सूचना वेबसाइट updeled.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। शत प्रतिशत सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से डी0एल0एड0प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत अद्यतन् प्रवेश न पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची उनके शैक्षिक गुणांक तथा मोबाइल/दूरभाष नं0 सहित प्रदेश के डायट की ई–मेल आईडी पर इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी कि संस्थान अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क कर सके। निजी संस्थान अपने जनपद के डायट से सम्पर्क कर उक्त सूची प्राप्त कर सकते हैं।

10. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी संस्थानों को रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान, डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 00001 से 3,36,572 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन् प्रवेश नहीं हुआ है, से ही रिक्त (समस्त सीटों को Un-reserved मानते हुए) सीटो पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

11. प्रदेश के समस्त डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2023 के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 सं0 390/अरसठ–4–2023 –2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, दिनांक 26.05.2023 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त में निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु के अनुसार ही सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही की जायेगी।